



# उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक

## क्षेत्रीय कार्यालय : मुजफ्फरपुर

### आम निलामी सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित विभिन्न अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल अस्तियों के विक्रय हेतु आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रतिभूतिदाता को नोटिस दिया जाता है कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक सार्वजनिक निलामी के द्वारा सम्पत्ति की निलामी हेतु "जैसा है, जहाँ है के आधार" पर आवेदक को अग्रघन राशि जमा करने की तिथि 21.11.2021 के पहले अथवा उक्त तिथि को अपराहन 4.00 बजे तक आमंत्रित करता है।

क्र. सं.	शाखा का नाम कर्जदार/जमानतदार/ बंधककर्ता का नाम	13 (2) के नोटिस के अनुसार बकाया राशि जिसकी वसूली के लिए सम्पत्ति बेची जा रही है	संपत्ति का विवरण	1. मॉग नोटिस की तिथि 2. अग्रघन नोटिस की तिथि	1. आरक्षित मूल्य 2. ईएमडी
1.	शाखा : पक्की सराय ऋणि : राकेश कुमार सिन्हा पिता स्व. विपिन बिहारी प्रसाद, शिवशंकर प्रसाद पिता स्व. बिन्देश्वरी प्रसाद एवं शोभा सिन्हा पति राकेश कुमार सिन्हा पता : आमगोल, पड़ाव पोखर, लेन नं.-2, मुजफ्फरपुर	रु. 13,39,606/- एवं ब्याज तथा अन्य खर्च	भूमि श्री राकेश कुमार सिन्हा पिता स्व. विपिन बिहारी प्रसाद एवं शिवशंकर प्रसाद पिता स्व. बिन्देश्वरी प्रसाद के नामित। जमाबंदी नं. -11022, 10994, खाता सं.-784, खेसरा सं. -186 क, ख, ग, घ, हाउस नं.-567, थाना नं. -344, रकवा : 725 वर्गफीट, चौहद्दी -उत्तर : बिमल किशोर प्रसाद, दक्षिण : कन्हैया प्रसाद, पूरब : सुषमा दुबे एवं लेन, पश्चिम : विजय सिंह	1. 28.08.17 2. 23.05.18	1. रु. 2527665/- 2. रु. 252767/-

उपरोक्त सम्पत्ति की सार्वजनिक निलामी उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरपुर में दिनांक 24.11.2021 को अपराहन 2:00 बजे से 4:00 बजे के बीच निम्नलिखित नियमों/शर्तों के तहत की जायेगी। 1. सम्पत्ति का अग्रघन राशि आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत निश्चित किया गया है। 2. आवेदन के साथ सम्पत्ति का अग्रघन राशि का डिमांड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरपुर पर देय संलग्न होना चाहिए अन्यथा आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे और आवेदक को निलामी में भाग नहीं लेने दिया जायेगा। 3. आरक्षित मूल्य से कम मूल्य में सम्पत्तियों की निलामी नहीं की जायेगी। 4. निलामी समाप्त के बाद सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बोली की रकम का 25 प्रतिशत तत्काल जमा करना होगा एवं शेष रकम निलामी तिथि से 15 दिनों के अंदर भुगतान करना होगा। 5. सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को निलामी तिथि से 15 दिनों के अंदर पूरी रकम का भुगतान कर निलाम किये गये सम्पत्तियों को अपने स्वामित्व में ले लेना होगा अन्यथा उनके पक्ष में हुई निलामी को निरस्त करते हुए उनके द्वारा जमा की गई पूरी रकम को जब्त कर लिया जायेगा। 6. निलामी में विफल आवेदकों का अग्रघन राशि का डिमांड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर निलामी स्थल पर ही वापस कर दिया जायेगा। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले सहित किसी भी आवेदन को या पूरी निलामी को अथवा किसी भी सम्पत्ति की निलामी को बिना कारण बताए निरस्त या अस्वीकृत करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित रहेगा, 7. उपरोक्त सम्पत्तियों को खरीदने के इच्छुक क्रेता सम्पत्ति के निरीक्षण हेतु संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक, मो. -9264210014, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, मो. 9297947101 रिकवरी एजेंट 6299261422 से संपर्क कर सकते हैं। 8. साथ ही विक्री से संबंधित किसी अन्य जानकारी के लिए इच्छुक क्रेता बैंक के वेबसाइट [www.ubgb.in](http://www.ubgb.in) भी देख सकते हैं।

सरफ़ेसी अधिनियम 2002 के अधीन 30 दिनों की बिक्री सूचना

कर्जदारों / गारंटदाताओं / कानूनी वारिसों / बंधककर्ता(ओं) / को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि निलामी से पूर्व बैंक को उपरोक्त वर्णित सभी बकायों का भुगतान करें, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बंधक संपत्ति को वर्णित तिथि को बेच दिया जायेगा और अगर कोई अन्य बकाया शेष होगा तो इसे उचित ब्याज, प्रभारों एवं व्यय के साथ उनसे वसूल किया जायेगा।

दिनांक : 21.10.2021

स्थान : मुजफ्फरपुर

प्राधिकृत अधिकारी  
मुजफ्फरपुर